न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम रईस आदि
वाद सं0–761/2006
मु0अ0सं0–411/2006
धारा–323,504 भा0दं0सं0
थाना–डिलारी

18.03.2019

अभियुक्त रईस अहमद की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0–761/2006 मु0अ0सं0–411/2006 धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना–डिलारी में प्रस्तुत कर कथन किया गया है अभियुक्त वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर था अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2006 को स्वीकृत हो चुकी है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रईस अहमद द्वारा बीस–बीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा